संख्या- 7/2026/001-2278-81-4-2025

प्रेषक,

विनय कुमार पाठक,
उप सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-4 लखनऊ : दिनांक 12 फरवरी, 2026

विषयः-वित्तीय वर्ष 2025-26 में अनुदान संख्या-60 के अन्तर्गत हिंसक वन पशुओं द्वारा मारे/घायल किये गये व्यक्तियों एवं मवेशियों के मालिकों को मुआवजे का भुगतान के मानकमद 20 सहायता अनुदान सामान्य (गैर वेतन) के अन्तर्गत धनराशि रू0-50.00 लाख की वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने स्वीकृति निर्गत किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र सं0-ब-138/21-5(1)/2025-26 दिनांक 01.12.2025 द्वारा प्राप्त प्रस्ताव के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025 दिनांक 27 मार्च, 2025 में में निहित निर्देशों एवं प्रतिबन्धों के अधीन वित्तीय वर्ष 2025-26 में वित्तीय वर्ष 2025-26 में अनुदान संख्या-60 के अन्तर्गत हिंसक वन पशुओं द्वारा मारे/घायल किये गये व्यक्तियों एवं मवेशियों के मालिकों को मुआवजे का भुगतान के मानकमद 20 सहायता अनुदान सामान्य (गैर वेतन) के अन्तर्गतद्वितीय किश्त कीधनराशि रू0-50.00 लाख की वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित लेखाशीर्षो एवं शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन नियमानुसार व्यय करने हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

<u>नियम व शर्तें/प्रतिबन्धों</u>

1. प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष समस्त औपचारिकतायें एवं वित्तीय नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।
2. प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष द्वारा आवश्यकतानुसार ही व्यय सुनिश्चित किया जायेगा।
3. प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष द्वारा प्रस्तावित धनराशि को आहरित कर किसी बैंक खाते में नहीं रखा जायेगा। अवमुक्त धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार एवं नियमानुसार किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in

4. प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रायोजना का सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही कार्य कराया जायेगा। कार्य की गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टियों की जिम्मेदारी प्रशासकीय विभाग की होगी।
5. प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष यह भी सुनिश्चित करेंगे कि प्रश्नगत कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित नहीं है तथा इस हेतु पूर्व में किसी अन्य योजना/स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है।
6. बजटप्राविधान के सापेक्ष धनराशि की उपलब्धता का दायित्व प्रशासकीय विभाग काहोगा। वित्तीय स्वीकृति का आदेश प्रशासकीय विभाग बजट प्राविधान के सापेक्षअवशेष धनराशि की उपलब्धता की स्थिति में ही निर्गत किया जायेगा।
7. प्रश्नगत वित्तीय स्वीकृति जिस कार्य/मद हेतु की जा रही है उसका उपयोग नियमानुसार उसी कार्य/मद हेतु किया जायेगा।
8. प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रस्तावित कार्यो की द्विरावृत्ति नहीं हो रही है।
9. प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष द्वारा वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 27 मार्च, 2025 में उल्लिखित दिशा निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
10. प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्षद्वारा प्रस्तावित धनराशि को आहरित कर किसी बैंक खाते में नहीं रखाजायेगा। अवमुक्त धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार एवं नियमानुसारकिया जायेगा।
11. अवशेष तृतीय किश्त की धनराशि की मांग विभागाध्यक्ष द्वारा द्वितीय किश्त की धनराशि के उपयोग किये जाने के पश्चात उपयोगिता प्रमाणपत्र के साथ की जाएगी।

2- इस संबंध में होने वाला व्ययरुपये 50,00,000 (रुपये पचास लाख मात्र)को चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 060 **लेखा शीर्षक** 2235602000400 हिंसक वन पशुओं द्वारा मारे /घायल किये गये व्यक्तियों एवं मवेशियों के मालिकों को मुआवज़े का भुगतान **मानक मद** 20 सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन) के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न संख्या-E-7-164-X-2025-26-दिनांक:4-2-2026 मे प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,
(विनय कुमार पाठक)
उप सचिव।

संख्या- 7(1)/2026/001-2278-81-4-2025, तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम/,दिवतीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), चतुर्थ तल, हाल नं0-2, आडिट भवन, टी0सी0-35, बी-1, विभूति खण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ।
3. महालेखाकार (लेखा परीक्षा), प्रथम/,दिवतीय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ/प्रयागराज।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in

4. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्य जीव, उ0प्र, लखनऊ।
5. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, योजना एवं कृषि वानिकी, उ0प्र0।
6. वित्त नियंत्रक, कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, उ0प्र0, लखनऊ।
7. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2 / वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7, उ0प्र0 शासन।
8. गार्ड फाइल/अनुभागीय आदेश पुस्तिका।

आज्ञा से,
(विनय कुमार पाठक)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।